अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज।

E-mail ID- se.kishanganj.rwd@gmail.com, Mobile No. 8986915948

पत्रांक –706 किशनगंज, दिनांक 01/07/2025

प्रेषक :– अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, किशनगंज।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज

विषय :– **शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज के अधीन RRSMP/24-25 Forbisganj/01 (Tender ID- 139240) निर्माण कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।**

प्रसंग :– **मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1122 दिनांक–28.06.2025**

महाशय,

1. उपर्युक्त विषय के संबंध में बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका 163 के आलोक में इस कार्य को इसके योग्य सफल न्यूनतम दरदाता **H.S Mehta Infra Private Limited (Bid ID- 610236)** को उनके द्वारा निविदित दर, जो परिमाण विपत्र की दर से 7.77 % कम है, उक्त कार्य रू0 **31,60,64,206.00 (एकतीस करोड़ साठ लाख चौंसठ हजार दो सौ छः)** मात्र की लागत पर प्रसंगाधीन पत्र द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एंव कार्य हित में आवंटित किया जाता है।

2. कार्यपालक अभियंता प्रसंगाधीन पत्र में दिये गए सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी के लिये है, जो भविष्य में पूर्वोदाहरण नहीं होगा।

4. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिये जमा की गयी राशि एवम निविदा के साथ जमा किये गये संबंधित बैंक गारंटी/एन0 एस0 सी0 आदि का सत्यापन संबंधित बैंक/डाकघर से करा कर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा। कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज** कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन कराकर, सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वाँछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर ली जाएगी।

6. एकरारनामा से पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि निविदाकार डिबार सूची/ काली सूची या कार्य लंबित सूची में शामिल नहीं है।

7. कार्य में व्यवहृत सामाग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य करते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।

8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोडकर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।

9. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व यह जॉच लेंगे की रोड का नाम, अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, प्रशाशनिक स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परकमित दर, Bid Capacity आदि सही है। अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जॉच अपने स्तर से स्वंय कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगें। त्रुटि के सुधारोपरांत एकरारनामा की कार्रवाई की जाएगी।

P.T.O

Scanned with OKEN Scanner

10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरांत स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
11. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारनामित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु मासिक प्रोग्राम हस्ताक्षरित कराकर प्राप्त कर लेंगे जो की एकरारनामा का भाग होगा।
12. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण की जाए।
13. कार्य समाप्ति की अवधि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार होगी।
14. इस कार्य का व्यय **शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) योजना अन्तर्गत** मिलने वाली राशि अन्तर्गत उपवंधित राशि से विकलित होगा।
15. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाये।
16. एकरारनामा से पहले संवेदक द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर लेंगे। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज** तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रमाणित प्रति अधोहस्ताक्षरी को अभिलेख हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निदेश दिया जाता है कि संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे। तथा उनका कार्यक्षमता, कुशलता एंव पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लें।
17. इस निविदा की राशि में अगर कोई अन्तर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त एकरारनामा के पूर्व इस कार्यालय को दी जाय।
18. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में अतिरिक्त वॉछित परफारमेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
19. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
20. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्व हस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
21. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में आवश्यक सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
22. कार्यपालक अभियंता पर्यवेक्षण के उपरान्त साप्ताहिक अन्तराल पर उर्पयुक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई करेंगे तथा की गयी कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
23. निविदा निष्पादन के कम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय तथा इस कार्यालय को एकरारनामा के पूर्व तुरंत सूचित किया जाय।
24. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाये।
25. कार्यपालक अभियंता कार्यावंटन आदेश प्राप्त होते ही संवेदक को अविलम्ब LOA (Letter ofAcceptance) निर्गत करेंगे एवं CMBD की ITB की कंडिका 33.2 में निहित प्रावधान के आलोक में निर्धारित 15 दिनों के अन्दर एकरारनामा की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में ITB की कंडिका – 34.2 के आलोक में कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से प्रस्ताव मुख्य अभियंता–4 को समर्पित करेंगे। विशेष परिस्थिति में उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् एकरारनामा करने हेतु Proper Justification उचित माध्यम से मुख्य अभियंता–4 को समर्पित करेंगे एवं उनके अनुमति के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे।

निदेश दिया जाता है कि संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे तथा उनकी कार्यक्षमता, कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

विश्वासभाजन

01/7/25

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, किशनगंज।

01/07/25

Scanned with OKEN Scanner